मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1633
08.07.2019 को उत्तर के लिए

रेलवे लाईनों के किनारे/राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर पेड़ों को लगाना

1633. श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि इस गर्मी में भयंकर लू के कारण उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में अनेक लोगों की मृत्यु हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण यह स्थिति वर्ष दर वर्ष और अधिक भयावह होती जा रही है; और

(ग) क्या सरकार रेलवे लाईनों के किनारे तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर पेड़ लगाने की व्यापक योजना कार्यान्वित करने का विचार रखती है और क्या सरकार इस उद्देश्य के लिए प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) निधि से अपेक्षित धनराशि खर्च करेगी?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) लू के कारण हुई मृत्यु के आंकड़े इस मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित नहीं रखे जाते हैं।

(ख) पेड़ों की कटाई अपवादात्मक परिस्थितियों के तहत इस शर्त पर करना संभव होगा जब निरपवाद रूप से अधिक वृक्ष लगाए जाएंगे और बढ़ाए जाएंगे और जिसकी निगरानी की जाएगी। इसके अलावा, पेड़ों की कटाई अन्य मानवजनित गतिविधियों जैसे कि ईंधनों का जलना, परिवहनों से निकलने वाला धुआं आदि के साथ पृथ्वी के औसत तापमान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

(ग) रेलवे लाईनों के किनारे की खाली भूमि पर और राष्ट्रीय राजमार्गों की दोंनो और वृक्षारोपण का कार्य मुख्य रूप से क्रमश: रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा पूरा किया जाता है। एनएचएआई, एमओआरटीएच, द्वारा यह सूचित किया गया है कि सड़कों के किनारे और वृक्षवीपि पौधारोपण उपलब्ध राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) पर इंडियन रोड कांग्रेस (आईआरसी : एसपी : 21-2009) और हरित राजमार्ग नीति, 2015 के कोडल प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। इसके अलावा, रेलवे ट्रैक और राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ पड़ी खाली रेलवे भूमि पर वृक्षारोपण का संवर्धन करने की दृष्टि से मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ शासित राज्यों को ऐसी अप्रयुक्त सरकारी भूमि को हरा भरा करने के लिए क्रमश: राज्यों में संबंधित रेलवे जोनों और एनएचएआई के साथ समझौता करने के लिए माडल समझौते जारी किए थे। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु आदि राज्यों के कुछ राज्य वन विभागों ने रेलवे की भूमि पर वृक्षारोपण गतिविधि कार्यकलाप शुरू किए हैं।

*****